प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 14.11.2026

थाना छपरौली पुलिस द्वारा ग्राम हलालपुर में ग्राम प्रधान के भाई की हत्या करने के सम्बन्ध में थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 274/26 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.11.2026 को थाना छपरौली पर वादी श्री राजीव कुमार पुत्र योगराज सिंह निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. उदयराज पुत्र पीतम सिंह, 2. सन्नी खोखर पुत्र उदयराज, 3. आर्यन उर्फ पोलू पुत्र उदयराज निवासीगण ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर वादी राजीव कुमार व वादी के भाई सुधीर व संजीव के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौच की, जिसमें संजीव के गम्भीर चोट आने के कारण मुँह से खून आ गया, जिसको उपचार हेतु सीएचसी छपरौली लाया गया, परन्तु डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 274/26 धारा 115(2)/103(1)/3(5)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 74/26 धारा 103(1)/115(2)/352/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1- सन्नी खोखर पुत्र उदयराज निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-उदयराज पुत्र पीतम सिंह निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 श्री प्रभाकर कैन्तुरा थाना छपरौली।

2- नि0 श्री मुकेश कुमार थाना छपरौली।

3- सहायक उ0नि0 प्रवीण चौहान थाना छपरौली।

4- है0का0 440 राशीद खान थाना छपरौली।

5- है0का0 489 सुनील कुमार थाना छपरौली।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 14.11.2026

ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा बालिका (उम्र करीब 07 वर्ष) को 01 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के किया सुपुर्द।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा गुमशुदा बालिका (उम्र करीब 07 वर्ष) को 01 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

उक्त बालिका अपनी माँ की डांट से नाराज होकर घर से बिना बताए गुफा मंदिर के पास आ गयी थी, जिसके बाद थाना बागपत पुलिस (PRV-8337 व फैंटम टीम) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बालिका को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों से सम्पर्क कर सकुशल सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1- मु0आ0 552 मुकेश कुमार (PRV-8337) जनपद बागपत।

2- आ0 41 मंदीप कुमार (PRV-8337) जनपद बागपत।

3- आ0 328 दिलावर सिंह (PRV-8337) जनपद बागपत ।
4- आ0 113 विनोद कुमार (PRV-8337) जनपद बागपत ।
5- मु0आ0 632 विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
6- हो0गा0 304 सुशील कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर दिनाँक 14.11.2026

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने के सम्बन्ध में थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 156/26 में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।



संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 10.11.2026 को वादी मौ0 इरफान पुत्र खजान निवासी ग्राम गौना थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त साजिद पुत्र नवाब अली निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा वादी से एक लाख रूपये की रंगदारी मांगी तथा मना करने पर गाली -गलौंच कर जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 156/26 धारा 308(4)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0156/26 धारा 308(4)/352/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साजिद पुत्र नवाब अली निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-है0का0 65 महीपाल सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 14.11.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 291/26 धारा 64(1)/115(2)/ 351(3) बीएनएस व 67A/66E आईटी एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार I



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के 291/26 धारा 64(1)115(2)/351(3) बीएनएस व 67A/66E आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है I

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फिरोज पुत्र शहजाद निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपतI

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-नि0अ0 श्री जयकिशोर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-का0207 रिंकू सिह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-का0201 अनिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना छपरौली साइबर टीम , जनपद बागपत

नवम्बर- 2026

थाना छपरौली साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह नवम्बर-2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि कुल – 6,000/- रूपये वापस कराये गये–



आवेदक/पीडित श्री मंयक पूनिया पुत्र विनोद निवासी आदर्श नगला थाना छपरौली जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 7,400 रुपये की धोखाधडी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर दर्ज करायी, जिसका ACK. N0- 33109250114973 है, शिकायत प्राप्त होने पर थाना छपरौली साइबर टीम द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि में से 6,000 रुपये को वापस कराया गया।

आवेदक/पीडित को रुपये वापस मिलने पर थाना छपरौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	नाम थाना	प्रा0पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	छपरौली	33109250114973	6,000 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीमः-

1-अ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-रि0का0 241 सचिन सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।